

12/22 बार सघ का कार्य स्थगित है श्री मान PO साहब अल्प कार्य में व्यस्त है।
पत्रावली दिनांक 21/12/22 को पेश है। Kamraj

प्रार्थना पत्र

12/22

प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित अप्रार्थी
सं. 1 को शक-2 कर 3 बार आवाज
लगावाइ गई कोई उपस्थित नहीं आया।
अप्रार्थी सं. 1 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही
के आदेश दिए जाते हैं। अवाब स्टेट
पेश नहीं करने पर बन्द किया जाता है।
प्रार्थीगण अधिवक्ता को सुना गया व
पत्रावली का अवलोकन किया गया।
हस्तगत प्रकरण में दिनांक 30/09/2022
की अस्थायी निषेधाज्ञा को मूलवाद के
निर्णय तक स्थायी किया जाता है।
पत्रावली विणीति लेकर गम्बर से कम
होकर वाचिवल पत्रावली ली।



उपखण्ड अधिवक्ता (राजस्व)
श्री छत्रपुर

